दैनिक भास्कर बिलासपुर भास्कर 01-06-2025

समय पर धान उठाव राज्य सरकार की जिम्मेदारी: हाई कोर्ट

प्रदेश की 20 से अधिक सहकारी समितियों की याचिका पर हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश, खरीदे जा चुके धान का अब तक उठाव नहीं होने को दी गई थी चुनौती

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

2024-25 में खरीदे गए धान का उठाव अब तक पूरा नहीं हो सका है। इससे धान खुले में पड़ा सूख रहा है, वजन और गुणवत्ता घट रही है। इस पर समितियों के प्रबंधकों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं लगाई थीं। जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की सिंगल बेंच ने फैसले में कहा है कि समय पर धान का उठाव करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। याचिकाकर्ता समितियों को आदेश की कॉपी के साथ केंद्र और राज्य सरकारों को अभ्यावेदन देने को कहा गया है। संबंधित अधिकारी 90 दिनों के भीतर उस पर विचार कर निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रदेश की कई सहकारी समितियों ने हाई कोर्ट में अलग- अलग याचिकाएं लगाई थीं। याचिकाओं में बताया कि उन्होंने सरकार की नीति के अनुसार धान खरीदा। पहले उठाव की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2025 तय की गई थी। बाद में इसे 19 फरवरी और फिर 28 फरवरी 2025 तक बढ़ाया गया। इसके बावजूद धान का पूरा उठाव नहीं हुआ। कई केंद्रों में धान खुले में पड़ा है। बारिश, गर्मी, कीट और पक्षियों से नुकसान हो रहा है। समितियों के पास सुरक्षित भंडारण की सुविधा नहीं है। धान की मात्रा और गुणवत्ता में लगातार गिरावट आ रही है। याचिका समितियों ने हाई कोर्ट से सरकार को बाकी धान उठाने और उठाव में देरी और पर्यावरणीय कारणों से हुई मात्रा की कमी का समायोजन करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। किया जाए। उन्होंने कहा कि पहले की नीतियों में ऐसी स्थिति में 1-2% ड्राइज भत्ता दिया जाता था, लेकिन इस बार कोई स्पष्ट नीति नहीं है।

बारिश करीब, बढ़ सकता है नुकसान

कोर्ट ने कहा कि धान का संग्रहण सरकारी नीति और समझौते के अनुसार हुआ है, इसलिए उठाव की जिम्मेदारी राज्य की है। बार-बार समय बढ़ाने के बावजूद उठाव पूरा नहीं हुआ। बारिश का मौसम नजदीक है, ऐसे में नुकसान और बढ़ सकता है। कोर्ट ने कहा कि जलवायु और अन्य कारणों से धान की मात्रा में कमी होना स्वाभाविक है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस पर नीति बनाएं। कोर्ट ने यह भी कहा कि पंजाब में खरीफ 2014-15 के दौरान 1% ड्राइज भत्ता दिया गया था। केंद्र ने बिना सुनवाई के इसे घटा दिया और राज्य ने मिलर्स से वसूली शुरू कर दी। यह प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है।

समितियों से लगातार उठा रहे हैं धान: मार्कफेड

राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता समितियां जलवायु का लाभ उठाकर धान की मात्रा में कमी का लाभ लेना चाहते हैं। सरकार इस पर विचार कर रही है और जल्द निर्णय लिया जाएगा। मार्कफेड ने कहा कि वह लगातार धान उठा रहा है। उठाव की तारीखें भी कई बार बढ़ाई गई हैं। अब बहुत कम मात्रा बची है।